तो पेश है।

रीडर

22/2/17

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित उप.
पत्रावली वास्ते प्रार्थनापत्र पेश होवे
12/4/17 को पेश हो।

SDO

12/4/17

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित उप.
[illegible] पत्रावली वास्ते आदेश
17/4/17 को पेश हो।

SDO

17/4/17

पत्रावली पेश। पक्षकारान उपस्थित।
वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 151 सी.पी.सी.
स्वीकार किया गया वादी को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत
करने का अवसर प्रदान किया जाता है। पत्रावली
वास्ते साक्ष्य वादी 5/6/17 को पेश हो।

SDO

19/6/17

पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान कैम्प
चक महुडी मे पेश हुई। वादी स्वयं
उपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित। राजीनामा न
हो सका। पत्रावली पूर्व मे जारी कार्यवाही
के क्रम मे दिनांक 2/8/17 को पेश हो।

करमारोत

SDO.

पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान के तहत चक मढ़ई में पेश हुई। वादी कम्मा, जीतमल पिता नगा एवं प्रतिवादी हरीश पिता लक्ष्मण रोत उपस्थित। प्रतिवादी लक्ष्मण, श्रीमती काली, श्रीमती गमला, श्रीमती धूली भी उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं एवं वाद को इसी स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया। राजीनामा उभयपक्ष को पढ़कर सुनाया। सुनकर सही होना स्वीकार किया। वादी एवं प्रतिवादी गण द्वारा अपनी पहचान के क्रम में आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी गण की पहचान पटवारी हल्का द्वारा की गई। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

कम्मा
धूली

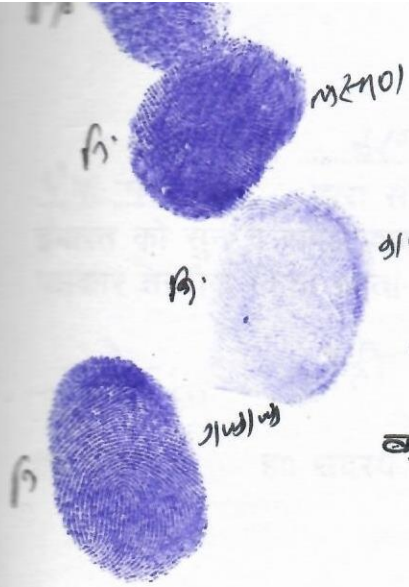

अर्ज़, मुताबिक राजनामा दोनो पक्षो द्वारा
पत्रावली मे अब कोई कार्यवाही न चाहने
से वाद खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से
कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

SDO

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर जिला डूगरपुर (राज0)

कैम्प कोर्ट का स्थान :–......डूंगरपुर......

राजीनामा प्रपत्र

सेवामें,
श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय
उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

दिनांकः– 7/7/17

(1) श्री कुरमा s/o नाना मीणा – फड़ महुडी
(2) " जीतमल s/o नाना मीणा – फड़ महुडी
बनाम
(1) श्री [illegible] s/o नाना मीणा [illegible] (6)
[illegible] – फड़ महुडी

प्रकरण संख्या 80/2014 अन्तर्गत धारा 53-188 राज. टेनेन्सी एक्ट

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री श्री कुरमा s/o नाना मीणा एवं जीतमल s/o नाना मीणा का निवेदन है कि उक्त अनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है। एवं अब हमारे बिच कोई विवाद नही रहा है। हम पक्षकरों के बीच संबंध अच्छे हो चुकी है।

हमारा राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है।

हम [illegible] पक्षकार [illegible] नहीं चाहते हैं, [illegible] पत्रावली खारिज करावें।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारे राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करे।

वादी पक्ष

प्रतिवादी पक्ष

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
(वादी पक्ष) नाम

पहचानाकर्ता के हस्ताक्षर
(प्रतिवादी पक्ष) नाम

प्रार्थी / वादी ...करमा एवं जीतमल मीणा...एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी...............................द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की ईबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

ह0 सदस्य ह0 सदस्य ह0 सदस्य

(दीपक मेहता)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपर